चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 31.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम करकापडरिया में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम गोपीपुर में,थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा स्कूल में,थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर पर,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पोस्ट ऑफिस कर्वी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई छात्र-छात्राओं एवं एनसीसी कैडेट्स की जागरूकता रैली

आज दिनांक 02.11.2026 को पुरानी बस स्टैण्ड कर्वी, जनपद चित्रकूट से यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ पुरानी बस स्टैण्ड कर्वी से जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा माननीय जनप्रतिनिधी पूर्व सांसद श्री आर0के0 पटेल, पूर्व सांसद श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चित्रकूट-बांदा श्री पंकज अग्रवाल एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कांत राय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्रीमती करिश्मा गुप्ता, यातायात प्रभारी श्री हरीराम यादव,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज राज सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक एवं जिम्मेदार बनाना है।

यातायात माह के शुभारम्भ अवसर पर छात्र-छात्राओं एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट तथा उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा दुर्घटनाओं से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां बरतने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा यातायात नियमों के पालन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना, नशे की हालत में वाहन न चलाना तथा यातायात संकेतों एवं नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

यातायात माह नवम्बर-2026 के दौरान जनपद में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वाहन चालकों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाया जाएगा।

चित्रकूट पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें तथा दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आपका सावधानीपूर्वक वाहन चलाना किसी के जीवन को बचा सकता है।

सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा।

चित्रकूट पुलिस

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुण्डी दीपक सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 मुन्नीलाल एवं उनकी टीम द्वारा 21 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.राहुल गर्ग पुत्र जनार्दन 2.अमन गर्ग पुत्र राजकुमार 3.सुनील जायसवाल पुत्र सीताराम निवासीगण मझगवां जनपद सतना 4.संदीप सिंह पुत्र राममनोहर निवासी नकैला थाना करौधा जनपद सतना 5.रविन्द्र त्रिपाठी पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी डुडौली मजरा इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी 6.नवीन चतुर्वेदी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी पिंडरा थाना मझगवां जनपद सतना 7.अतुल चतुर्वेदी पुत्र पूर्णानंद निवासी वार्ड न0 2 उमरी थाना सिविल लाइन्स सतना जनपद सतना 8.मयंक गर्ग पुत्र दयाराम गर्ग निवासी मझगवां थाना मझगवां जनपद सतना 9.नागेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 यादवेन्द्र सिंह निवासी पिंडरा थाना मझगवां जनपद सतना 10.रिषी उर्फ पीयूष जायसवाल पुत्र सुदामा निवासी मझगवां जनपद सतना 11.राजा पाण्डेय पुत्र दादूलाल निवासी बडी पाटिन थाना मारकुण्डी 12.नवल पाण्डेय पुत्र राजाप्रसाद निवासी डुडैली मजरा इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी 13.प्रभाकर गौतम पुत्र शिवकुमार 14.रम्मू सोनी पुत्र विजय निवासीगण मझगवां सतना 15.छोटू हलवाई पुत्र कुंदन निवासी धूस मैदान थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट 16.गोलू मांझी पुत्र श्यामलाल निवासी मझगवां जनपद सतना 17.रोहित सेन पुत्र रामगोपाल निवासी पिडरा थाना मझगवां जनपद सतना 18.धर्मेन्द्र सोनी पुत्र लालमन निवासी मझगवां जनपद सतना 19.नीरज चतुर्वेदी पुत्र रामनरेश निवासी मझगवां जनपद सतना 20.भूपेन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी मझगवां जनपद सतना 21.अश्वनी पाण्डेय पुत्र इन्द्रपाल निवासी डुडौली मजरा इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 52660/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 8540/- रुपये बरामद किए गए। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

2.उ0नि0 श्री अजहर जमाल

3.उ0नि0 श्री विजय प्रकाश तिवारी

4.आरक्षी संदीप

5. आरक्षी प्रदीप कुमार पटेल

6.आरक्षी सुशील कुमार

7.आरक्षी मुकेश कुमार

8.आरक्षी संदीप यादव

9.आरक्षी पंकज कुमार

10.आरक्षी आनंद पाल

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक श्यामलाल पुत्र बाबूलाल निवासी रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा अपनी बहू साधना पुत्री जौहरिया निवासी महूटा थाना अतर्रा जनपद बांदा के विरुद्ध ससुराल बापस न आने एवं पुत्र प्रमोद को परेशान करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 अनुपमा तिवारी , महिला आरक्षी सोनिका,महिला आरक्षी शिवांगी, द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस

कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2.महिला आरक्षी शिवांगी

3.महिला आरक्षी सोनिका

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय, पैरोकार मुख्य आरक्षी आरिफ, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 02.11.2026 को थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 146/23 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त सत्येन्द्र उर्फ हीरालाल उर्फ रामस्वरूप यादव निवासी दुर्जनपुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 02.11.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2022 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामनारायण पुत्र स्व0 अशवा निवासी खरौद कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1400/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). दीपावली मेले के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने रामघाट, खोही तालाब एवं बिहारा रैन बसेरा सहित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

रामघाट में यूपीपीसीएल को सड़क किनारे पौधरोपण, सौंदर्यीकरण, साइनेज लगाने एवं नालियों को ढकने, अधिशासी अधिकारी को स्ट्रीट लाइट लगवाने, जल संस्थान को चैंबर ठीक करने, विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर व पोल शिफ्ट करने, उतारा पुल से घाट तक सीढ़ियां बनवाने एवं नदी से मिट्टी हटवाने के निर्देश दिए।

रैन बसेरे का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर रैन बसेरा लिखवाने, शौचालय की मरम्मत व रंगाई-पुताई कराने तथा मंदाकिनी नदी में कचरा न जाने देने एवं नियमित सफाई के निर्देश दिए। बताया गया कि 16 चेंजिंग रूम

में से 6 लग चुके हैं, शेष शीघ्र लगाने, खोया-पाया केंद्र की रेलिंग ठीक कराने, पुल पर प्रकाश व्यवस्था एवं खोया-पाया केंद्र में सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर स्थापित कर निगरानी करने तथा अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात खोही तालाब में जल स्रोत, डस्टबिन पुताई, साइनेज, वृक्षारोपण, फेंसिंग एवं पैमाइश के निर्देश दिए। शिकायत पर संग्रामपुर स्थित शराब दुकान का निरीक्षण कर गंदगी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर ग्राम पंचायत में जमा कराने एवं कैंटीन में ही सेवन कराने के निर्देश दिए। अंत में बिहारा रैन बसेरा एवं पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर दीपावली से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने तथा पार्किंग में प्रकाश व पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सुविधा प्राथमिकता है और सभी विभाग समन्वय से समय से कार्य पूर्ण करें।